न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

R 653-I-17

अनंतराम तनय रतिराम यादव
निवासी ग्राम नीमखेरा,
तह. व जिला–टीकमगढ़ (म.प्र.)

...... **निगराकार**

बनाम

म.प्र. शासन

.... **अनावेदक**

श्री ________ द्वारा आज दि. 16-2-17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 16-2-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता

प्रस्तुत निगरानी अधीनस्थ न्यायालय ~~तहसीलदार टीकमगढ़~~ के प्रकरण क्रमांक 038(बी)/बी.–121/2014–15 में पारित आदेश 16.02.2016 से व्यथित होकर समक्ष श्रीमान् के प्रस्तुत।

महोदय,

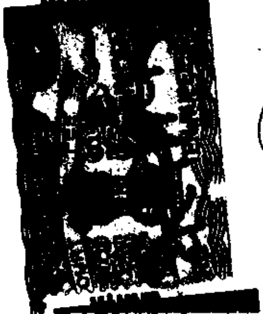

1- भूमि स्थित ग्राम नीमखेरा खसरा नं. 47/2 एवं 50 संयुक्त रकवा 1.983 हेक्टै. के विरूद्व करीब 40 वर्षो से निगराकार सहित उनके परिवार के द्वारा उक्त भूमि पर लगातार फसली कब्जा है। जिसके चलते आवेदकगण अपने परिवार का भरण पोषण करते आ रहे है।

2- यह कि, निगराकार के विरूद्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16.02.2016 को भू–राजस्व संहिता जिसे आगे संहिता कहा जायेगा। उक्त भूमि खसरा नं 47/5 एवं 50 जिसे प्रकरण में आगे विवादित भूमि माना जावें। उक्त भूमि आवेदक के पिता के स्वामित्व की भूमि है जिसे 1970–71 के आस–पास सिंलिंग एक्ट के समय अनाधिकृत रूप से शासन में दर्ज कर दिया गया जबकि आवेदकों पर सीलिंग एक्ट लागू नहीं होता था उक्त भूमि आवेदकों को वितरित की गई थी उक्त भूमि से लगी भूमि मंदिर की भूमि थी आवेदक की भूमि एवं मंदिर की भूमि एक अलग भूमि है उक्त खसरा क्रमांक 47/2 एवं 50 पर वर्तमान में एवं पूर्व से लगातार काबिज चला आ रहा है। उक्त संबंध में आवेदक द्वारा के मान्नीय उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन दिया था जिककककसे कलेक्टर महोदय ने समय सीमा में निर्धारित करते हुये आवेदक के संबंध में उक्त प्रकरण में जॉच उपरांत कार्यवाही करने के लिये निर्देशित किया था।

(क्रमशः...2)

[illegible]

R653-I/17

14-9-17

आवेदक अभिषेक [illegible]
[illegible] हाजिर उप० / अधि० [illegible]
की ओर से पैरवी अधिवक्ता श्री
आ. पी० पालीवाल उपस्थित। आवेदक
अभि. के विरुद्ध पर [illegible]
दर्ज पर [illegible] में [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] है।
प्रकरण [illegible] [illegible]

[कृ. प. उ.